

## भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस ) 108

### परिचालन खण्ड

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

### मुख्य सिद्धांत

---

1. प्रतिष्ठान द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यकलापों की, जिन्हें वह कर रहा है, और उस आर्थिक परिदृश्य जिसमें वह उन कार्य-कलापों का सम्पादन कार्य कर रहा है, सूचना प्रकट करेगा ताकि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता उनकी प्रकृति तथा वित्तीय प्रभावों की जानकारी प्राप्त कर सकें।

### कार्यक्षेत्र

---

1. यह लेखा मानक उन कंपनियों पर लागू होता है जिन पर कंपनी अधिनियम लागू होता है और उसके अधीन भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) अधिसूचित हैं।

(देखें परिशिष्ट 1)

3. यदि कोई प्रतिष्ठान जिसे यह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) लागू करना अपेक्षित न हो, ऐसे खण्डों के संबंध में जानकारी प्रकट करने के लिए चयन करता है जो इस लेखा मानक का अनुपालन न करते हों, वह सूचना को खण्डीय सूचना के रूप में प्रकट नहीं करेगा।
4. यदि किसी मूल प्रतिष्ठान की वित्तीय रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरण, जो इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के कार्यक्षेत्र के भीतर हैं, एवं मूल प्रतिष्ठान का पृथक विवरण दोनों समाविष्ट हैं, तो खण्ड सूचना केवल समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में ही अपेक्षित है।

### परिचालन खण्ड

---

5. प्रतिष्ठान के परिचालन खण्ड के निम्नलिखित घटक होते हैं :

(क) वह ऐसे व्यवसायिक कार्यकलापों में लगा हो जिससे उसे राजस्व की प्राप्ति हो तथा जिसमें उसके द्वारा खर्च वहन किए जाते हों। इसमें वे राजस्व व व्यय भी सम्मिलित हैं जो उसी प्रतिष्ठान के अन्य घटकों के लेन देनों से संबंधित हैं,

(ख) जिसके परिचालन संबंधी परिणामों की प्रतिष्ठान के मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती हो ताकि वह संसाधनों के खण्डीय आवंटन के प्रति निर्णय ले सके और कार्य निष्पादन की भी समीक्षा कर सके, और

(ग) जिसके संबंध में अलग से वित्तीय सूचना उपलब्ध हो ।

परिचालन खण्ड ऐसे कार्य कलापों को सम्पादित कर सकता है जिनसे अभी उसे राजस्व प्राप्त होना है । उदाहरणतया, जैसे कि, प्रारंभिक परिचालन राजस्व अर्जित करने की पूर्व स्थिति ।

6. यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिष्ठान का प्रत्येक अंग परिचालन खण्ड अथवा उसका एक भाग हो। उदाहरणतया, निगम का प्रधान कार्यालय अथवा कुछ इसके कार्यात्मक विभाग राजस्व अर्जित नहीं करते अथवा वे प्रतिष्ठान के प्रासंगिक कार्यकलापों से कोई राजस्व प्राप्त कर लें तथा वे कोई परिचालन खण्ड न हों। इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के प्रयोजन के लिए प्रतिष्ठान की नियोजनोपरांत लाभ योजनाएं परिचालन खण्ड नहीं हैं ।
7. 'मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता' शब्द कार्य का परिचायक है और प्रतिष्ठान में यह प्रबंधक जैसा कोई विशिष्ट पद नहीं है । उसका कार्य, संसाधनों को आवंटित करना तथा प्रतिष्ठान के परिचालन खण्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा करना है । सामान्यतः मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य परिचालन अधिकारी होता है । उदाहरण के लिए, वह कार्यपालक निदेशकों का अथवा अन्य कार्यकारी अधिकारियों का समूह भी हो सकता है ।
8. अधिकतर प्रतिष्ठानों के लिए, अनुच्छेद 5 में परिचालन खण्ड की दी गई तीन विशिष्टताएं इसके परिचालन खण्ड की द्योतक हैं । फिर भी, प्रतिष्ठान अपनी रिपोर्टों को विभिन्न प्रकारों से प्रस्तुत कर सकता है जिनमें व्यवसाय के कार्यकलापों को संपादित किया जाता है । यदि मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता एक से अधिक खण्डों की सूचना के सम्मुच्चय ( सैट) का प्रयोग करे तो एक अन्य घटक सम्मुच्चय में उन कारकों की भी सूचना दी जाएगी जो प्रतिष्ठान के परिचालन खण्ड के विभिन्न भागों के व्यवसायी कार्य कलापों की प्रकृति, उनके लिए कौन प्रबंधक जिम्मेदार हैं तथा निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना आदि की जानकारी दी जाएगी ।
9. सामान्यतः, परिचालन खण्ड का एक खण्ड प्रबंधक होता है जो परिचालन के कार्य कलापों, वित्तीय परिणामों, पूर्वानुमानों अथवा खण्ड के लिए योजना बनाने जैसे पक्षों के लिए मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता से नियमित सम्पर्क बनाए रखता है। 'खण्ड प्रबंधक' शब्द कार्य का परिचायक है और यह आवश्यक नहीं कि परिचालन में इस नाम का कोई विशिष्ट पद हो । मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता भी कुछ परिचालन खण्डों के खण्ड प्रबंधक हो सकते हैं । इसी तरह एक प्रबंधक एक से अधिक परिचालन खण्डों का खण्ड प्रबंधक हो सकता है। यदि अनुच्छेद 5 में दी गई विशिष्टताएं संगठन के एक से अधिक भागों पर लागू होती हों परंतु खण्ड प्रबंधक केवल एक सम्मुच्चय (सैट) के लिए ही उत्तरदायी हों तो परिचालन खण्ड के उसी सम्मुच्चय ( सैट) में सभी कारकों की सूचना सम्मिलित होगी ।
10. अनुच्छेद 5 में दी गई विशिष्टताएं दो या दो से अधिक घटकों के अधिव्याप्त सम्मुच्चयों ( सैटों ) पर लागू हो सकती हैं जिनके लिए प्रबंधक उत्तरदायी हों । ऐसी संरचना संगठनात्मक ढांचे का सांचागत स्वरूप (मैट्रिक्स फार्म ) कहलाता है । उदाहरणतया, कुछ प्रतिष्ठानों में कुछ प्रबंधक

विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं की लाइन के लिए विश्व स्तर पर उत्तरदायी होते हैं जबकि अन्य प्रबंधक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता द्वारा दोनों भागों के सम्मुख (सैटों) के परिचालन परिणामों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा उसके पास निम्नलिखित में से दोनों की वित्तीय सूचना उपलब्ध रहती है। ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठान द्वारा मुख्य सिद्धांत के संदर्भ में निर्धारण करना होगा कि इन दोनों भागों में कौन-सा भाग परिचालन खण्ड कहलाएगा।

## रिपोर्ट-योग्य खण्ड

11. प्रतिष्ठान द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक परिचालन खण्ड के लिए अलग-अलग सूचना दी जाएगी:
- (क) जिनकी पहचान अनुच्छेद 5-10 के अनुसार हुई हो अथवा अनुच्छेद 12 के अनुसार दो या अधिक खण्डों के समूह के परिणामस्वरूप हुई हो, तथा
  - (ख) अनुच्छेद 13 की मात्रात्मक सीमा से अधिक हो।  
अनुच्छेद 14-19 उन अन्य परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट करते हैं जिनमें किसी परिचालन खण्ड की पृथक सूचना रिपोर्ट की जानी चाहिए।

## एकीकरण मानदण्ड

12. परिचालन खण्डों की यदि एक समान आर्थिक विशेषताएं हों तो वे सामान्यतः एक जैसे दीर्घावधि वित्तीय कार्य निष्पादन दर्शाते हैं। उदाहरणतया, दो परिचालन खण्डों का दीर्घावधि औसत सकल लाभ एक जैसा होने की आशा की जा सकती है यदि उनकी आर्थिक विशेषताएं एक समान हों। दो अथवा अधिक परिचालन खण्डों का एकल परिचालन खण्ड में समूहन किया जा सकता है बशर्ते समूहन इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के मुख्य सिद्धांत के अनुकूल हो अर्थात् खण्डों की एक समान आर्थिक विशेषताएं हों तथा खण्ड निम्न लिखित प्रत्येक मामले में एक समान हों :
- (क) उत्पाद तथा सेवाओं की प्रकृति;
  - (ख) उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति;
  - (ग) उत्पाद तथा सेवाओं के ग्राहकों का वर्ग;
  - (घ) उत्पाद वितरण तथा सेवाएं प्रदान करने की पद्धतियाँ; तथा
  - (ङ) यदि लागू हो, नियामक वातावरण, उदाहरणतः बैंकिंग, बीमा अथवा जन-उपयोगी सेवाएं।

## मात्रात्मक सीमाएं

13. प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक परिचालन खण्ड के लिए पृथक सूचना दी जाएगी जो निम्नलिखित मात्रात्मक सीमाएं पूरी करते हों :

(क) उसका रिपोर्ट किया गया राजस्व, जिसमें बाह्य ग्राहकों की बिक्री तथा अन्तर खण्ड बिक्री अथवा अंतरण जो आंतरिक अथवा बाहरी सभी परिचालन खण्डों के संयुक्त राजस्व का 10% अथवा अधिक हो, सम्मिलित है ।

(ख) उसके द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ अथवा हानि की समग्र राशि 10% अथवा अधिक की समग्र राशि, इन दोनों में से जो अधिक है (i) सभी प्रचालन खण्डों के रिपोर्ट किए गए संयुक्त लाभ जिन्होंने हानि की रिपोर्टिंग न की हो (ii) सभी परिचालन खण्डों की रिपोर्ट की गई संयुक्त हानियाँ, जिन्होंने हानि रिपोर्ट की हो ।

(ग) इसकी आस्तियाँ सभी परिचालन खण्डों की संयुक्त आस्तियों के 10% अथवा अधिक हों।

परिचालन खण्ड को, जो उपर्युक्त किसी भी मात्रात्मक सीमा से मेल न खाते हों, रिपोर्ट योग्य माना जा सकता है तथा उनका प्रकटन पृथक रूप से किया जा सकता है , यदि प्रबंधन के विचार में खण्ड से संबंधित जानकारी वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है ।

14. प्रतिष्ठान ऐसे परिचालन खण्डों की, जिनकी मात्रात्मक सीमाओं की सूचना का मेल न हो, और अन्य परिचालन खण्डों , जिनकी मात्रात्मक सीमाओं की सूचना का मेल न हो,को रिपोर्ट योग्य खण्ड बनाने के लिए परस्पर मिला सकते हैं बशर्ते परिचालन खण्डों की आर्थिक विशिष्टताएं एक समान हों तथा अनुच्छेद 12 में सूचीबद्ध समूहन के मापदण्डों को प्रमुख रूप से पूरा करते हों ।

15. यदि परिचालन खण्ड द्वारा रिपोर्ट किया गया कुल बाह्य राजस्व का भाग प्रतिष्ठान के राजस्व के 75% से कम हो, रिपोर्ट योग्य खण्ड के रूप में अतिरिक्त परिचालन खण्ड को मिलाना होगा (बेशक वे अनुच्छेद 13 के मानदण्डों को पूरा न करते हों ) जब तक कि कम से कम 75% राजस्व रिपोर्ट योग्य खण्ड में सम्मिलित न हो जाए ।

16. रिपोर्ट योग्य न होने वाले अन्य व्यवसायिक कार्य कलापों तथा परिचालन खण्डों को सम्मिलित किया जाएगा तथा अनुच्छेद 28 के द्वारा अपेक्षित मिलान हेतु अन्य मिलान मदों से ' अन्य सभी खण्ड' श्रेणी के अंतर्गत पृथक रूप से प्रकट किए जाने चाहिए । 'अन्य सभी खण्ड' श्रेणी में सम्मिलित राजस्व के स्रोतों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए ।

17. यदि प्रबंधन यह अनुभव करे कि पूर्ववर्ती अवधि में जिस परिचालन खण्ड की पहचान रिपोर्ट योग्य खण्ड के रूप में की गई है उससे खण्ड के संबंध में निरंतर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही हो तो उसे चालू अवधि में भी पृथक रूप से रिपोर्ट करना जारी रखा जाएगा बेशक वह अनुच्छेद 13 में दिए गए रिपोर्ट योग्य मानदण्डों को अब पूरा न भी कर रहा हो ।

18. यदि चालू अवधि में परिचालन खण्ड की पहचान रिपोर्ट योग्य खण्ड के रूप में मात्रात्मक सीमाओं के अनुसार की गई हो , पूर्व अवधि के लिए तुलनात्मक उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों(डाटा) को नए रिपोर्ट योग्य खण्ड में प्रभाव दिखाने के लिए पुनः वर्णित करना चाहिए, चाहे उस खण्ड ने

अनुच्छेद 13 के अनुसार रिपोर्ट योग्यता के मानदण्डों को पूरा न किया हो । जब तक कि आवश्यक सूचना उपलब्ध न हो अथवा इसे विकसित करने की लागत बहुत अधिक हो ।

19. किसी प्रतिष्ठान द्वारा पृथक रूप से प्रकट की जाने वाले रिपोर्ट योग्य खण्डों की संख्या को सीमित करना व्यावहारिक होगा क्योंकि सीमा से अधिक खण्ड की सूचना आवश्यकता से अधिक विस्तृत हो सकती है । यद्यपि अनुच्छेद 13-18 के अनुसरण में रिपोर्ट योग्य खण्डों की कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जब संख्या दस से ऊपर हो जाती है तो प्रतिष्ठान को समझना चाहिए कि क्या अब व्यवहार्य सीमा पूरी हो चुकी है ।

## प्रकटन

---

20. प्रतिष्ठान द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों की, जिन्हें वह कर रहा है, और उस आर्थिक परिदृश्य, जिसमें वह उन कार्य- कलापों का सम्पादन कार्य कर रहा है, सूचना प्रकट करेगा ताकि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता उनकी प्रकृति तथा वित्तीय प्रभावों की जानकारी प्राप्त कर सकें।
21. अनुच्छेद 20 में दिए गए सिद्धांत को लागू करने के लिए प्रत्येक अवधि, जिसके संबंध में लाभ तथा हानि की विवरणी प्रस्तुत की गई हो , प्रतिष्ठान को निम्नलिखित प्रकटन करने होंगे :
- (क) अनुच्छेद 22 में यथा वर्णित सामान्य सूचनाएं;
- (ख) रिपोर्ट किए गए खण्ड के लाभ या हानि के संबंध में सूचना जिसमें राजस्व तथा व्यय सहित, खण्ड आस्तियाँ, खण्ड देयताओं तथा अनुच्छेद 23-27 के अनुसार माप के आधार का उल्लेख भी सूचित किया जाएगा; और
- (ग) खण्ड के राजस्व का सकल योग, रिपोर्ट किए गए खण्ड की लाभ या हानि, खण्ड आस्तियाँ, खण्ड देयताएं तथा अनुच्छेद 28 में वर्णित प्रतिष्ठान की राशियों के तदनु रूप अन्य महत्वपूर्ण खण्डीय मदों का मिलान ।

रिपोर्ट योग्य खण्ड की राशियों का प्रतिष्ठान के तुलन पत्र की राशियों से मिलान प्रस्तुत किए गए तुलन पत्र की प्रत्येक तारीख के लिए करना आवश्यक है । पूर्व अवधियों संबंधी सूचना अनुच्छेद 29 तथा 30 में यथावर्णित पुनः प्रस्तुत की जाएंगी।

## सामान्य सूचना

22. प्रतिष्ठान द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं प्रकट की जाएंगी :
- (क) संगठन के आधार सहित, प्रतिष्ठान के रिपोर्ट योग्य खण्डों की पहचान के लिए प्रयुक्त कारक (उदाहरणतया, क्या प्रबंधन द्वारा प्रतिष्ठान के संगठन के विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं, भौगोलिक क्षेत्रों , विनियामक वातावरण के बीच अथवा कारकों के सम्मिलित रूप

में संचालित करने के लिए चयन किया गया है तथा यह कि क्या परिचालन खण्डों का एकत्रीकरण किया गया है) ; तथा

- (कक) अनुच्छेद 12 में एकत्रीकरण मानदंड के प्रयोग में प्रबंधन द्वारा लिये गये विवेकपूर्ण निर्णय। इसमें उन परिचालन खंडों का संक्षिप्त ब्यौरा भी शामिल है जिन्हें इस तरह से एकीकृत किया गया है। और आर्थिक संकेतन जिनका निर्धारण यह निश्चय करने के लिए किया गया है कि एकीकृत परिचालन खंड इस प्रकार की आर्थिक विशेषताओं से गुजरते हैं।
- (ख) उत्पादों तथा सेवाओं के प्रकार जिनके द्वारा प्रत्येक रिपोर्टयोग्य खण्ड राजस्व प्राप्त करते हैं।

### लाभ या हानि, आस्तियों एवं दायित्वों संबंधी सूचना

23. एक प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड के लाभ या हानि के माप राशि की रिपोर्ट देनी होगी। एक प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड की कुल आस्तियों एवं दायित्वों के माप की रिपोर्ट देनी होगी, यदि ऐसी राशियाँ नियमित रूप से मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता को प्रस्तुत की जाती हों। प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड के संबंध में निम्न को भी प्रकट करना होगा यदि मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता की समीक्षा के लिए विशिष्ट राशियाँ खण्ड के लाभ या हानि के माप में शामिल नियमित रूप से उसे प्रस्तुत की जाती हों या बेशक उन्हें खंड के लाभ या हानि के माप में शामिल न भी किया गया हो ।

- (क) बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व;
- (ख) उसी प्रतिष्ठान के अन्य प्रचालन खण्डों से लेन-देन से प्राप्त राजस्व;
- (ग) ब्याज राजस्व;
- (घ) ब्याज व्यय;
- (ङ) मूल्यहास तथा परिशोधन;
- (च) भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 *वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण* के अनुच्छेद 97 के अनुसरण में प्रकट आय तथा व्यय की महत्वपूर्ण मदें ;
- (छ) सहायक प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में इक्विटी विधि से लेखाबद्ध प्रतिष्ठान के हित ;
- (ज) आय कर खर्च अथवा आय; तथा
- (झ) मूल्यहास तथा परिशोधन के अलावा महत्वपूर्ण गैर नकदी मदें ।

प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड के ब्याज राजस्व को ब्याज व्यय से अलग दर्शाना चाहिए बशर्ते खण्ड का अधिकतर राजस्व ब्याज से प्राप्त हो तथा मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता खण्ड के निष्पादन का मूल्यांकन तथा खण्डों को संसाधन आवंटित करने के निर्णय के लिए प्राथमिक रूप से शुद्ध ब्याज आय पर ही निर्भर न हो ।

24. प्रतिष्ठान प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खण्ड के संबंध में निम्नलिखित को प्रकट करेगा बशर्ते खण्ड आस्तियों के माप में विशिष्ट राशियाँ सम्मिलित की गई हों और इन खण्ड आस्तियों की मुख्य परिचालन निर्णायक समीक्षा करता है या फिर उसे ये नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती हों और चाहे खण्ड आस्तियों के माप में विशिष्ट राशियाँ सम्मिलित न भी हों:

- (क) सहायक प्रतिष्ठानों एवं संयुक्त उद्यमों में 'इक्विटी' विधि से लेखाबद्ध निवेश की राशि, और
- (ख) वित्तीय लिखतों, आस्थगित कर आस्तियों, नियोजनोपरांत लाभ आस्तियों (देखें भारतीय लेखा मानक 19 *कर्मचारी लाभ*) निवलोपरान्त निश्चित तथा बीमा अनुबंधों से उत्पन्न अधिकारों के अलावा गैर- चालू आस्तियों<sup>1</sup> में परिवर्धनों की राशियाँ ।

## माप

---

25. रिपोर्ट किए गए प्रत्येक खण्ड मद की राशि मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता को रिपोर्ट किया गया माप होगा ताकि वह खण्ड को संसाधन आवंटित करने तथा कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के संबंध में निर्णय ले सके । प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय यदि कोई समायोजन तथा बहिष्करण किया जाता है तथा राजस्व, व्यय तथा लाभ हानियों का आवंटन खण्ड के रिपोर्ट किए गए लाभ- हानि के निर्धारण में तभी सम्मिलित किए जाएंगे यदि वे खण्ड के लाभ या हानि के माप में सम्मिलित हों और उसका उपयोग मुख्य परिचालन निर्णायक द्वारा किया जाता हो। इसी प्रकार, खण्ड की वही आस्तियाँ तथा देयताएँ रिपोर्ट की जाएंगी जो उस खण्ड की आस्तियों तथा देयताओं के माप में शामिल की गई हों और उसका उपयोग मुख्य परिचालन निर्णायक द्वारा किया जाता हो । यदि खण्ड के रिपोर्ट किए गए लाभ या हानि और आस्तियों अथवा देयताओं को राशियाँ आवंटित की जाती हैं, तो उन राशियों को तर्क पूर्ण ढंग से आवंटित किया जाएगा ।

26. यदि मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता परिचालन खण्ड के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन तथा खण्ड के लाभ या हानि और आस्तियों तथा दायित्वों के आवंटन का निर्णय करने के उद्देश्य से परिचालन खण्ड के लाभ अथवा हानि और खण्ड की आस्तियों अथवा दायित्वों के माप के लिए केवल एक माप का प्रयोग करें तो खण्ड के लाभ या हानि और आस्तियों तथा दायित्वों की रिपोर्टिंग उसी माप द्वारा की जाएगी । यदि मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता परिचालन खण्ड के लाभ या हानि और खण्ड की आस्तियों अथवा दायित्वों के माप के लिए एक से अधिक माप का प्रयोग करे तो रिपोर्ट के माप प्रबंधन के मतानुसार प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में उनके समान राशियों के माप के लिए प्रयुक्त मापन के सिद्धांतों के अनुरूप निर्धारित किए जाने चाहिए ।

27. प्रतिष्ठान को खण्डीय लाभ या हानि, खण्डीय आस्तियों तथा खण्डीय दायित्वों की प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड के लिए माप का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है । प्रतिष्ठान कम से कम निम्नलिखित का प्रकटन करेगा :

- (क) रिपोर्ट योग्य खण्डों के बीच लेन -देनों के लेखांकन का आधार ।

---

<sup>1</sup> तरलता प्रस्तुति के अनुसरण में आस्तियों के वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए गैर चालू आस्तियों में वे आस्तियाँ शामिल होती हैं जिनकी वसूली रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 महीनों से अधिक की अवधि के अंदर प्रत्याशित है ।

- (ख) रिपोर्ट योग्य खण्डों के लाभ या हानियां, प्रतिष्ठान के आय कर व्यय अथवा आय से पूर्व लाभ या हानि, तथा बंद किए गए परिचालन के मापों के बीच के अंतरों की प्रकृति (यदि अनुच्छेद 28 में वर्णित मिलान से स्पष्ट न हो)। इन अंतरों में रिपोर्ट की गई खण्ड जानकारी को समझने के लिए लेखा नीतियों तथा संयुक्त रूप से प्रयुक्त आस्तियों के आवंटन की नीतियाँ शामिल हो सकती हैं।
- (ग) रिपोर्ट योग्य खण्ड दायित्वों तथा प्रतिष्ठान की आस्तियों के माप में अंतरों की प्रकृति (यदि अनुच्छेद 28 में वर्णित मिलान से स्पष्ट न हो) इन अंतरों में रिपोर्ट की गई खण्ड जानकारी को समझने के लिए लेखा नीतियाँ तथा संयुक्त रूप से प्रयुक्त आस्तियों के आवंटन की नीतियाँ शामिल हो सकती हैं।
- (घ) रिपोर्ट योग्य खण्ड दायित्वों तथा प्रतिष्ठान की दायित्वों के माप में अंतरों की प्रकृति (यदि अनुच्छेद 28 में वर्णित मिलान से स्पष्ट न हो) इन अंतरों में रिपोर्ट की गई खण्ड जानकारी को समझने के लिए लेखा नीतियाँ तथा संयुक्त रूप से प्रयुक्त दायित्वों के आवंटन की नीतियाँ शामिल हो सकती हैं।
- (ङ) रिपोर्ट किए गए खण्ड लाभ अथवा हानि तथा उसके प्रभाव के निर्धारण के लिए प्रयुक्त माप पद्धति की, उन परिवर्तनों पर जो खण्ड माप से लाभ या हानि से पूर्व अवधि से परिवर्तन यदि हुए हों, की प्रकृति।
- (च) रिपोर्ट योग्य खण्ड के किसी विषम आवंटन की प्रकृति तथा प्रभाव। उदाहरणतः, प्रतिष्ठान द्वारा किसी खण्ड के मूल्यहास व्यय आवंटित किए गए हों परंतु उस खण्ड की संबंधित मूल्यहास योग्य आस्तियों को आवंटित न किए हों।

## मिलान

28. प्रतिष्ठान को निम्न का मिलान करना होगा:

- (क) खण्ड के रिपोर्ट योग्य राजस्व का योग प्रतिष्ठान के कुल राजस्व से।
- (ख) प्रतिष्ठान के कुल कर पूर्व खर्चों (कर आय) तथा बंद किए गए परिचालनों से लाभ या हानि के रिपोर्ट योग्य खण्डों के लाभ या हानि मापन का योग। परंतु, यदि प्रतिष्ठान रिपोर्ट योग्य खण्ड को कर पूर्व खर्चों (कर आय) आवंटित करे, तो प्रतिष्ठान द्वारा खण्ड के लाभ या हानि के मापन का प्रतिष्ठान के उस मद के लाभ या हानि से मिलान किया जा सकता है।
- (ग) खण्ड की रिपोर्ट योग्य आस्तियों के योग का प्रतिष्ठान की कुल आस्तियों के साथ योग बशर्ते खंडीय आस्तियों भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसरण में रिपोर्ट की जाती है।
- (घ) खण्ड की रिपोर्ट योग्य दायित्वों के योग का प्रतिष्ठान की कुल दायित्वों से यदि खण्ड की दायित्वों की रिपोर्ट अनुच्छेद 23 के अनुसार की गई हो।
- (ङ) खण्ड की रिपोर्ट योग्य अन्य सारवान (महत्वपूर्ण) मदों की सूचना के योग का प्रतिष्ठान प्रकट की गई समरूप सारवान (महत्वपूर्ण) मदों की सूचना से।

सभी सारवान मदों को पृथक रूप से पहचाना तथा वर्णित किया जाएगा। उदाहरणार्थ रिपोर्ट योग्य खण्ड के लाभ या हानि के लिए आवश्यक प्रत्येक सारवान समायोजन की राशि प्रतिष्ठान के विभिन्न लेखनीतियों से उत्पन्न लाभ या हानि की पहचान तथा प्रकटन पृथक रूप से किया जाएगा।

## पूर्व में रिपोर्ट की गई सूचना का पुनर्कथन

29. यदि प्रतिष्ठान अपने आंतरिक संगठन में परिवर्तन इस ढंग से करे कि उसके रिपोर्ट योग्य खण्ड के गठन में परिवर्तन हो जाए, तो पूर्व अवधियों की समकक्ष जानकारी, अंतरिम अवधि सहित, का पुनर्कथन किया जाएगा जब तक कि सूचना उपलब्ध न हो अथवा उसे विकसित करने की लागत बहुत अधिक हो। सूचना उपलब्ध न होने अथवा उसे विकसित करने की लागत बहुत अधिक होने का निर्धारण प्रकटन की प्रत्येक मद के संबंध में पृथक से किया जाएगा। उसके रिपोर्ट योग्य खण्ड के गठन में परिवर्तन के फलस्वरूप, प्रतिष्ठान को यह प्रकट करना होगा कि क्या उन्होंने पूर्ववर्ती अवधि की समकक्ष खण्ड जानकारी का पुनर्कथन कर दिया है।
30. यदि प्रतिष्ठान अपने आंतरिक संगठन में परिवर्तन इस ढंग से करे कि उसके रिपोर्ट योग्य खण्ड के गठन में परिवर्तन हो जाए, तो पूर्व अवधियों की समकक्ष जानकारी, अंतरिम अवधि सहित, परिवर्तनों को दिखाने के लिए पुनर्कथन नहीं किया गया हो प्रतिष्ठान को जिस वर्ष में परिवर्तन हुए हैं उस चालू वर्ष के लिए खण्ड जानकारी खण्डीकरण के नए तथा पुराने आधार पर देनी होगी जब तक कि सूचना उपलब्ध न हो अथवा उसे विकसित करने की लागत बहुत अधिक हो।

## प्रतिष्ठान व्यापी प्रकटन

---

31. इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के होते हुए अनुच्छेद 32-34 एकल रिपोर्ट योग्य खण्डों सहित सभी प्रतिष्ठानों पर लागू हैं। कुछ प्रतिष्ठानों की व्यावसायिक गतिविधियाँ संबंधित उत्पादों तथा सेवाओं अथवा परिचालनों के भौगोलिक क्षेत्रों की भिन्नता के आधार पर संपादित नहीं होती हैं। ऐसे प्रतिष्ठान के रिपोर्टयोग्य खण्ड व्यापक रूप से भिन्न तथा सेवाओं की भिन्नता राजस्व को रिपोर्ट कर सकते हैं अथवा इसके एक से अधिक रिपोर्ट योग्य खण्ड अनिवार्यतः वही उत्पाद तथा सेवाएं प्रदान करें। इसी प्रकार किसी प्रतिष्ठान के रिपोर्ट योग्य खण्डों की आस्तियाँ भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हो सकती हैं तथा भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के ग्राहकों से प्राप्त राजस्व की रिपोर्ट कर सकते हैं अथवा इसके एक से अधिक रिपोर्ट योग्य खण्ड एक ही भौगोलिक क्षेत्र से परिचालन कर सकते हैं। अनुच्छेद 32-34 द्वारा अपेक्षित सूचना तभी दी जाए यदि इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुसार अपेक्षित रिपोर्ट योग्य खण्ड जानकारी प्रदान नहीं की हो।

## उत्पादों एवं सेवाओं संबंधी सूचना

32. प्रतिष्ठान को बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व की प्रत्येक उत्पाद तथा सेवा अथवा समान उत्पाद तथा सेवाओं के समूह के लिए रिपोर्ट करना होगा जब तक कि आवश्यक जानकारी उपलब्ध न हो अथवा उसे उपलब्ध कराने की अत्यधिक लागत हो ऐसे मामलों में यह तथ्य भी सूचित करना होगा। राजस्व की राशि रिपोर्ट प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त सूचनाओं पर आधारित होनी चाहिए।

## भौगोलिक क्षेत्रों संबंधी सूचना

33. प्रतिष्ठान निम्नलिखित भौगोलिक सूचना प्रदान करेंगे जब तक कि सूचना उपलब्ध न हो अथवा उसे विकसित करने की लागत बहुत अधिक हो:

(क) बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व (i) जो प्रतिष्ठान के अपने अधिवासी देश से संबंधित है (ii) बाहर के उन देशों, जिनसे प्रतिष्ठान राजस्व प्राप्त कर रहा हो, से संबंधित कुल राजस्व। यदि किसी एक देश से प्राप्त राजस्व अधिक है तो उस राजस्व को पृथक रूप से प्रकट किया जाएगा। प्रतिष्ठान को किसी एक देश से बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व प्राप्त होने का आधार प्रकट करना होगा।

(ख) वित्तीय लिखतें, आस्थगित कर आस्तियाँ, नियोजनोपरांत लाभ आस्तियाँ तथा बीमा अनुबंधों के अधीन उत्पन्न अधिकार के अतिरिक्त गैर-चालू आस्तियाँ<sup>2</sup> जो (i) प्रतिष्ठान के अपने अधिवासी देश में स्थित हैं, और (ii) बाहर के उन सभी देशों में स्थित हैं जहां प्रतिष्ठान की आस्तियां हैं। यदि बाहर के किसी देश में आस्तियां अधिक हैं तो उनको अलग से प्रकट किया जाएगा।

राजस्व की राशि रिपोर्ट प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त सूचनाओं पर आधारित होनी चाहिए यदि आवश्यक जानकारी उपलब्ध न हो अथवा उसे उपलब्ध कराने की अत्यधिक लागत हो तो यह तथ्य सूचित करना होगा। प्रतिष्ठान इस अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित जानकारी के अतिरिक्त देशों के समूह से संबंधित भौगोलिक जानकारी के उप-योग सूचित कर सकते हैं।

## प्रमुख ग्राहकों संबंधित सूचना

34. प्रतिष्ठान अपने प्रमुख ग्राहकों पर निर्भरता की सूचना प्रदान करेंगे। यदि एकल बाहरी ग्राहक के प्रति संव्यवहारों से प्राप्त राजस्व प्रतिष्ठान के कुल राजस्व के 10% से अधिक होने पर प्रतिष्ठान इस तथ्य को प्रकट करेंगे तथा प्रत्येक ऐसे ग्राहक से प्राप्त कुल राजस्व, तथा रिपोर्ट करने वाले

<sup>2</sup> तरलता प्रस्तुति के अनुसरण में आस्तियों के वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए गैर चालू आस्तियों में वे आस्तियां शामिल होती हैं जिनकी वसूली रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 महीनों से अधिक की अवधि के अंदर प्रत्याशित है।

खण्ड या खण्डों की पहचान सूचित करेंगे । प्रतिष्ठान के लिए प्रत्येक प्रमुख ग्राहक अथवा प्रत्येक खण्ड से ऐसे ग्राहक से प्राप्त रकम का प्रकटन आवश्यक नहीं है। इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के उद्देश्य से रिपोर्ट करने वाले प्रतिष्ठान की जानकारी वाली एक नियंत्रण के अधीन प्रतिष्ठानों के समूह को एक ग्राहक माना जाएगा । परंतु, यह जानने के लिए कि एक सरकार (सरकारी एजेंसियों तथा समान निकायों जैसे-स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय सहित) तथा रिपोर्ट करने वाले प्रतिष्ठान की जानकारी वाली सरकार के नियंत्रण के अधीन एक ग्राहक माना जाएगा, का निर्णय लिया जाना अपेक्षित होगा । यह जानने के लिए रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान इन प्रतिष्ठानों के बीच आर्थिक एकीकरण की सीमा पर विचार करना होगा ।

## परिशिष्ट क

### परिभाषित शब्दावली

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का अभिन्न अंग है ।

#### परिचालन खण्ड

एक परिचालन खण्ड प्रतिष्ठान का ऐसा घटक है :

- (क) जो ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न है जिनसे वह राजस्व प्राप्त करता है और व्यय खर्च करता है (जिसमें उसी प्रतिष्ठान के अन्य घटकों के लेनदेनों के राजस्व व व्यय भी सम्मिलित हैं) ;
- (ख) जिसके परिचालन परिणामों की नियमित रूप से मुख्य परिचालन निर्णायक द्वारा समीक्षा की जाती है और खण्ड के संसाधनों के आवंटित करने और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं ; तथा
- (ग) जिसके लिए अलग से वित्तीय सूचना उपलब्ध रहती है ।

## परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 108 और अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 8 परिचालन खण्ड के बीच यदि कोई प्रमुख अंतर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

### 'आई एफ आर एस' 8 परिचालन खण्ड के साथ तुलना

1. 'आई एफ आर एस' 108 में दिये गये संक्रमणकालीन उपबंध भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 108 में इस दृष्टि से नहीं दिये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन उपबंध, जहां उचित है, भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101 भारतीय लेखा मानकों का प्रथम बार अंगीकरण में सम्मिलित कर दिये गये हैं, जो कि आई एफ आर एस 1, भारतीय लेखा मानकों का प्रथम बार अंगीकरण के तदनुसूची है।
2. इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) में मौजूदा कानूनों में प्रयुक्त शब्दावली से भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणार्थ, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्द 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
3. 'आई एफ आर एस' 8 का अनुच्छेद 2 यह अपेक्षा करता है कि यह मानक निम्नलिखित पर लागू होता है-

(क) एक प्रतिष्ठान की पृथक या व्यक्तिगत वित्तीय विवरण:

- (i) जिसकी ऋण (डैट) या 'इक्विटी' लिखते एक सार्वजनिक बाजार (पब्लिक मार्केट) खरीदी-बेची जाती है (घरेलू या विदेशी स्टॉक एक्सचेंज अथवा एक ओवर-द-काउन्टर बाजार जिसमें स्थानीय व क्षेत्रीय बाजार भी सम्मिलित हैं), या
- (ii) एक सार्वजनिक बाजार में लिखतों की किसी श्रेणी को जारी करने के प्रयोजन के लिए एक प्रतिभूति आयोग या अन्य विन्यामक संगठन के पास अपने वित्तीय विवरण फाइल करता है या फाइल करने की प्रक्रिया में है; और

(ख) मूल प्रतिष्ठान के साथ समूह के समेकित वित्तीय विवरण:

- (i) जिसकी ऋण (डैट) या 'इक्विटी' लिखते एक सार्वजनिक बाजार में खरीदी-बेची (ट्रेड) की जाती है (घरेलू या विदेशी स्टॉक एक्सचेंज अथवा एक 'ओवर-द-काउन्टर बाजार जिसमें स्थानीय व क्षेत्रीय बाजार भी सम्मिलित हैं'), या

- (ii) एक सार्वजनिक बाजार में लिखतों की किसी श्रेणी का जारी करने के प्रयोजन के लिए वह एक प्रतिभूति आयोग या अन्य नियामक संगठन के पास अपने वित्तीय विवरण फाइल करता है या फाइल करने की प्रक्रिया में है।

उपर्युक्त इस भारतीय लेखा मानक से हटा दिये गये हैं क्योंकि कम्पनी अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) की प्रयोज्यता या छूट (अपवाद) अधिशासित होती है। फिर भी अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 8 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनाये रखने के लिए इस (इंड ए एस) 108 में इन अनुच्छेद संख्याओं को जारी रखा गया है।